भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3234

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत में चिकित्सा शिक्षा का आधुनिकीकरण

†3234. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान, विशेषकर देशभर के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में उभरती एवं आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में उठाए गए कदम कौन-कौन से हैं;

(ग) देशभर में विशेषकर आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में पाठ्यक्रम और अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए राज्य-वार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने देशभर में चिकित्सा शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ब्लॉकचेन आधारित पहलों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, जिसे पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने तथा उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग ने देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता को आधुनिक बनाने के लिए योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम, 2024 सहित व्यापक उपाय किए हैं। सीबीएमई के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, चिकित्सा महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में कंप्यूटर, और एआई सहित प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग जैसे क्षेत्रों में विभिन्न वैकल्पिक विकल्प प्रदान करें।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाएं (पीजीएमएसआर-2023) चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में सुसज्जित विभागीय और केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, आधुनिक निदान और इमेजिंग सुविधाओं, डिजिटल पुस्तकालयों, ई-जर्नलों और ऑनलाइन अनुसंधान डेटाबेस तक पहुँच, उच्च गति इंटरनेट और वाई-फाई कनेक्टिविटी का अनिवार्य प्रावधान करती हैं।

इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 2023 (पीजीएमईआर 2023) के अनुसार छात्रों को नैदानिक कार्य, प्रक्रियाओं और शैक्षणिक गतिविधियों को दर्ज करने के लिए डिजिटल लॉगबुक रखने की आवश्यकता है। विभागों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ई-लर्निंग और डिजिटल डाक्यूमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने देश भर के स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों के लिए चिकित्सा शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार ने 2014 से लेकर वर्तमान तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या तथा स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 846 हो गई है; स्नातक सीटें 51,348 से बढ़कर 1,39,489 और स्नातकोत्तर सीटें 31,185 से बढ़कर 86,360 हो गई हैं।

सरकार ने देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए अवसंरचना को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं:

- जिला/रेफरल अस्पताल को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके तहत 157 अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों में से 139 नए मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।
- एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।

पिछले पाँच वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26 तक) के दौरान, उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता जारी की गई है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के उपरोक्त घटकों के अंतर्गत वर्ष-वार जारी कुल केंद्रीय निधियाँ इस प्रकार हैं:

वित्त वर्ष	जारी की गई केंद्रीय निधि (₹ करोड़)
2021-22	5,051.10
2022-23	1,974.87
2023-24	928.78
2024-25	294.26
2025-26	1,309.106

आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत उसी अवधि के दौरान जारी की गई केंद्रीय निधियाँ निम्न प्रकार हैं:

स्कीम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल (₹ करोड़)
नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना	150.00	0.00	70.47	0.00	121.89	342.36
पीजी सीटों में वृद्धि	0.00	113.40	85.05	0.00	49.21	247.66
कुल योग	**150.00**	**113.40**	**155.52**	**0.00**	**171.10**	**590.02**
